इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 496] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर 2017—भाद्र 21, शक 1939

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश एम. डी. (आयुर्वेद)/एम. एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम—2017

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. एफ-01-18-2017-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 अगस्त 2017 में अधिसूचित "मध्यप्रदेश एम. डी. (आयुर्वेद)/एम. एस. (आयुर्वेद) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2017" के नियम 27 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

(1) नियम 7(1) के अंतर्गत आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ.नं.आर.-11011-04-2016-ईपी (आईएम-1) दिनांक 4 सितम्बर 2017 के क्रम में न्यूनतम अर्हताकारी अंकों की सीमा को विलोपित किया जाता है.

(2) नियम 7 के उपनियम 3 की कण्डिका 3.2 में निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाता है:—

"परन्तु आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ. नं. आर.-11011-04-2016-ईपी (आईएम 1) दिनांक 4 सितम्बर 2017 के अनुसार पात्रता इन्टर्नशिप पूर्ण करने तक मान्य या आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले संशोधित आदेशों/नियमों के अनुरूप रहेगी."

(3) उक्त नियमों के नियम 10 तथा नियम 12 के अंतर्गत वर्णित शुल्क (पंजीयन एवं च्वाईस फिलिंग) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा जिसका वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जावेगा.

(4) उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/निर्देशों/नियमों के अधीन रहेंगे. पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुये प्रवेश उपरान्त यदि संबंधित आदेश/निर्देश/नियम में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.